राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
स्वास्थ्य भवन, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :–एफ.11(118)/रापक/भण्डार/परिवहन/2010/ 397-401 दिनांक :– 11.6.10

परिवहन कार्य हेतु दर संविदा निविदा सूचना

विभाग में विभिन्न सामानों के परिवहन कार्यो के लिए एक वर्ष की दर संविदा हेतु निविदाएं, सीलबन्द लिफाफे में आमंत्रित की जाती है। निविदाएं निर्धारित प्रपत्र पर ही मान्य होंगी। निविदा प्रपत्र शर्ते एवं अन्य विवरण कार्यालय समय में दिनांक 21.06.10 से 19.07.10 दोपहर 12.00 बजे तक रू0 100/– प्रति निविदा/प्रपत्र हेतु राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसाइटी,जयपुर के पक्ष में बैंकर चेक/डी0डी0 जमा कराकर प्राप्त किये जा सकते है। निविदाएं दिनांक 19.07.10 को दोपहर 3.00. बजे तक प्राप्त कर दिनांक 19.07.10 को दोपहर 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क्र0सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	धरोहर राशि रूपयो मे	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि
1	सामग्री परिवहन कार्य	30.00 लाख	60000.00	19.07.10 12.00 बजे तक

इच्छुक निविदादाता उक्त तिथियों के अनुसार अपना निविदा प्रस्ताव विभाग को प्रस्तुत कर सकते है।

निदेशक (आर0सी0एच0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राज0 जयपुर।

क्रमांक :–एफ.11(118)/रापक/भण्डार/परिवहन/2010/ दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. आहरण एवं वितरण अधिकारी (प.क.) मुख्यालय।
2. नोटिस बोर्ड ।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय।
4. गार्ड फाईल।

निदेशक (आर0सी0एच0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राज0 जयपुर।

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
स्वास्थ्य भवन, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :—एफ.11(118)/रापक/भण्डार/परिवहन/2010/ दिनांक :-

निविदा प्रपत्र

1. दवाईयों फर्नीचर, उपकरण एवं अन्य सामग्री के परिवहन हेतु एक वर्ष के लिए दर संविदा
2. निविदा दाता का नाम : ....

   डाक का पूरा पता : ....
3. सम्बोधित : निदेशक (आर.सी.एच.) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. सेवायें राज. जयपुर।
4. संदर्भ : निविदा सूचना क्रमांक : .... दिनांक ....
5. निविदा शुल्क रू0 100/— का डी.डी./पे आर्डर नं0.......................... दिनांक ....
6. परिवहन किये जाने वाले सामानों की दरें निम्नानुसार है :—

क्र0 सं0	आइटम	दूरी	दर (अंको एवं शब्दों में अंकित करें)		
			दर प्रति नग	कर यदि कोई हो	योग
1	1 से 20 किलो तक वजन के कार्टून/पेटिया/बण्डल एवं अन्य उपकरण/दवाईयां	200 कि. मी.			
		400 कि.मी.			
		400 किलो मीटर से अधिक			
2	20 किलो से अधिक के कार्टुन पेटिया/बण्डल, बैड लेबर टेबिल, भारी मशीन एवं फर्नीचर एवं अन्य उपकरण प्रति नग	200 कि.मी.			
		400 कि.मी.			
		400 कि.मी. से अधिक			

7. दर्शायी गयी दरे निविदा खोलने की तिथी से एक वर्ष तक वैद्य रहेगी। इसके आगे भी दोनो पक्षों की सहमति से समयावृद्धि की जा सकती है।
8. धरोहर राशि रू0 60,000/— (साठ हजार रू0 मात्र) बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट/चालान संख्या /रसीद .... दिनांक .... सलंग्न के द्वारा राज. स्टेट हैल्थ सोसायटी, जयपुर के नाम से जमा करा दी गयी है।
9. बिक्री कर पंजीकरण संख्या तथा राज्य बिक्री कर शोधन प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारियों से जारी किये गये हे, सलंग्न है।
10. निविदाकार पंजीकृत ट्रांसपोर्ट/पंजीकृत सोसायटी हो जिसके पास स्वयं के ट्रक अथवा फर्म के नाम से ट्रक हो एवं वैध ट्रांसपोर्ट का परमिट आदि भी हो।
11. निविदाकार के कार्यालय, गोदाम , भूगृह आदि का पूरा पता ताकि उस व्यक्ति का नाम, दूरभाष नं0 जिससे इस प्रयोजनार्थ समय- समय पर सम्पर्क किया जाना है। ....

    ....
12. उक्त निविदा सूचना तथा अनुबंध की अन्य शर्ते जो सलंग्न पृष्ठों में अंकित है, के स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप मैंने/हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा इनका पालन करने के लिए सहमत हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर व पता

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
स्वास्थ्य भवन, राजस्थान जयपुर

दवाईयों एवं उपकरण फर्नीचर तथा अन्य सामान आदि के परिवहन हेतु निविदा (वर्ष 2010—11) एवं अनुबंध की शर्ते

निविदादाता को निविदा में अपनी दरें अंकित करते समय इन शर्तों को बहुत सावधानी पूर्व पढ़ना चाहिए। यदि किसी शर्त के बारे में कोई संदेह हो तो अपनी निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व निदेशक (आर0सी0एच0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर से लिखित में स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिये। निविदा के विभाग में प्राप्त हो जाने के बाद भी शर्त के संबंध में निदेशक (आर0सी0एच0) का निर्णय अंतिम मान्य होगा तथा वह निविदादाता को मान्य होगा।

1. निविदा, निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बन्द करके भेजी जानी चाहिए।

2. दरों की इकाईयों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए और दरें अंको के साथ साथ शब्दों में भी अंवश्य लिखी जानी चाहिए।

3. निविदा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय हेतु पंजीकृत फर्म, कम्पनी, संस्था/सोसायटी द्वारा ही दी जानी चाहिये, इस तथ्य का प्रामाणिक अभिलेख निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। निविदाकार के पास स्वयं के ट्रक अथवा फर्म के नाम से पंजीकृत ट्रक हो तथा निविदाकार का कार्यालय जयपुर में हो।

4. निविदा किसी साझेदारी फर्म द्वारा प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में प्रत्यके साझेदार के हस्ताक्षर अथवा फर्म की ओर से किसी एक को साझेदार को अधिकृत किये जाने की स्थिति में पावर आफ अर्टोनी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। निविदा स्वीकृति के बाद फर्म के संविधान में कोई परिवर्तन फर्म के पूर्व के सदस्यों/साझेदारों के इस अनुबंध के उत्तरदायित्वों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं डालेगा। इसी प्रकार जब तक इस अनुबंध के वहन को नया साझोदार स्वीकार नहीं करे तब तक फर्म मे कोई नया साझेदार सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

   निविदाकार कम्पनी/ सोसायटी होने पर अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही निविदा भरी जावेगी।प्राधिकृत प्रतिनिधि की अधिकृति निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

5. निविदा खोलने की तिथी से निविदा स्वीकार हेतु एक वर्ष तक वैद्य रहेगी। इस अवधि में निविदाकार निविदा वापस नही ले सकेगा।

6. निविदा दाता अपनी निविदा या उसके किसी सारभूत भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और नहीं किसी को आगे निविदा पर दे सकेगा।

7. दरें अनुबन्ध की तिथी से एक वर्ष के लिए मान्य होगी। ये दरें एफ.ओ.आर. स्टोर होगी। दरों में स्थानीय एवं गन्तव्य स्थान का स्थानीय भाड़ा, ठेला भाड़ा, सरचार्ज एवं अन्य समस्त व्यय कर/टोल टैक्स आदि कोई हो, सभी सम्मिलित करके दरें दी जावे। परिवहन कार्य में काम आने वाले सभी साज सामान आदि की व्यवस्था निविदाकार करेगा निविदा में वर्णित दरों के अतिरिक्त कोई अन्य भुगतान नहीं किये जावेगा।

8. भेजा जाने वाला सामान सुरक्षित एवं सही मात्रा में बताये गये जिला मुख्यालय, स्टोर पर भण्डारपाल द्वारा इण्डेन्ट काटने के 5 दिवस अथवा विभाग द्वारा आदेशित अवधि के अन्दर पहुँचाना होगा तथा सामग्री पहुँच का प्रमाण/रसीद 7 दिवस में निदेशालय को प्रस्तुत करनी होगी। समस्त सामान निविदाकार/निविदाकार फर्म के पंजीकृत ट्रकों से ही भेजना होगा।

9. निर्धारित अवधि के उपरान्त सामान पहुॅच के 5 दिवस से अधिक विलम्ब होने पर बिल्टी में अंकित राशि का 5 प्रतिशत तथा 8 दिवस से ओर अधिक विलम्ब होने पर बिल्टी में अंकित राशि का 10 प्रतिशत दण्ड राशि वसूल की जावेगी।

10. संबंधित कार्यालय जहां माल पहुॅचाना है, वहॉ से 100 प्रतिशत माल प्राप्ति की रसीद सक्षम अधिकारी/भण्डारपाल से मय प्राप्ति मोहर एवं दिनांक के प्राप्त होने के उपरान्त ही भुगतान निदेशालय द्वारा ही किया जावेगा।

11. सामान जयपुर रेल्वे स्टेशन, विभागीय गोदाम एवं परिवार कल्याण भंडार सेठी कॉलोनी, हीराबाग आदि स्थानो से उठाना होगा। समस्त सामान निविदादाता की जोखिम पर भेजा जावेगा। गंतव्य स्थान पर यदि सामान कम पहुॅचता है या बिल्कुल नहीं पहॅचता है, टूट फूट के पहुॅचता है तो ऐसे सामान की पूर्ण कीमत मय 10 प्रतिशत दण्डात्मक राशि के निविदादाता से वसूल किया जावेगी। औषधी एवं अन्य ऐसी सामग्री जिसके अवधि पार होने की संभावना रहती है आदेशित अवधि में ही पहुॅचाना सुनिश्चित करें अन्यथा ऐसे मामले मे निविदाकार फर्म से सामग्री की लागत की पूर्ण वसूली की जावेगी।

12. यदि सामान परिवहन में खराब कर दिया गया , पानी में भीगने दिया या पैकिंग तोड दी गई या ऐसी ही परिस्थितियों में नुकसान हुआ तो पूर्ण हर्जाना निविदादाता से वसूल किया जावेगा।
(अ) सामान के केन्द्रीय भण्ड़ार में संभलाने के पश्चात् गन्तव्य स्थान तक रास्ते में किसी भी प्रकार की हानि के लिए परिवहनकर्ता की जिम्मेदारी होगी एवं क्षति की स्थिति में सामान की राशि परिवहनकर्त्ता से वसूली योग्य होगी।

13. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के एक सप्ताह में नियमानुसार देय प्रतिभूति राशि रू0 150000/-(अक्षरे एक लाख पचास हजार मात्र) (धरोहर राशि का समायोजन करते हुये) पोस्ट ऑफिस के सेविंग सर्टिफिकेट, डिफनेस सेविंग सर्टिफिकेट अथवा नेशनल सेविंग स्कीम के तहत पोस्ट ऑफिस सेबिंग पासबुक धनराशि/बैकरचेक/डी0डी0 के रूप में निदेशक (आर0सी0एच0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के नाम से जमा करावाकर अनुबंध करना होगा अनुबन्ध के लिए निर्धारित प्रारूप में एक करार निष्पादित करना होगा। करार को पूर्ण करने तथा उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का वहन निविदाकार करेगा तथा विभाग को स्टाम्प लगे निष्पादित करार की मूल प्रति निःशुल्क दी जावेगी। यदि निविदाकार प्रतिभूति राशि जमा कराने या निहित काल अवधि में करार नामा निष्पादित करने में विफल रहता है तो उसकी शर्तो को भंग माना जावेगा तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
(अ) चूंकि विभाग का कीमती सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन हेतुं निविदादाता को संभलाया जाता है। अतः निविदादाता को गारन्टी के रूप में रू0 2.00 लाख की बैक गारंटी देनी होगी।

14. किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह निम्न दर वाली निविदा ही हो। विभाग के पास किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

15. निविदाकार अपने कार्यालय/निवास का पूर्ण पता अंकित करेगा जहां उससे व्यक्तिगत/डाक द्वारा सम्पर्क किया जा सके, यदि कार्यस्थल पर वह स्वयं उपस्थित नहीं रहता है तो उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम जो पूर्ण पता सूचित करेगा, कार्यस्थल पर उपस्थित रहेगा तथा जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

16. यदि निविदाकार कार्य के किसी भाग को निर्धारित समयावधि में सम्पन्न नहीं करता है तो विभाग को यह अधिकार होगा कि वे निविदाकार को कोई सूचना दिये बिना उसकी जोखिम पर कार्य सम्पन्न कराया जावेगा। निविदाकार इसके परिणामस्वरूप विभाग द्वारा किये गये जाने वाले समस्त खर्चे एवं विभाग की हानि की भरपाई के लिए उत्तरदायी होगा। निविदाकार के हर्जे खर्चे एवं जोखिम पर कार्य कराते समय विभागीय प्राधिकारी नियमानुसार निर्णय लेगा।

17. अनुबन्ध की शर्तो के अन्तर्गत निविदाकार से जो भी वसूली बनती है उसकी भरपाई यदि एक माह मे नहीं की जाती है तो ऐसी वसूली निविदाकार द्वारा जमा प्रतिभूति राशि मे से तुरंत कर ली जावेगी। तथा प्रतिभूति राशि से अधिक वसूली बनती है तो बैंक गारंटी से तुरंत राशि वसूल कर ली जावेगी। यदि फिर भी इस प्रकार वसूली पूरी तरह सम्भव नहीं हो तो राजस्थान लोकमॉग अधिनियम (वसूली) 1952 के अधीन या तत्समय प्रचलित किसी भी विधि के अधीन कर ली जावेगी।

18. निविदाकार को देय भुगतान में से आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत तत्समय निर्धारित दर से स्त्रोत कर के रूप में विभाग द्वारा आयकर की कटौती की जाकर भुगतान किया जावेगा। निविददाता के आवेदन पर विभाग द्वारा आयकर कटौती का प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

19. विवाद की स्थिति में निदेशक (आर0सी0एच0) का निर्णय अन्तिम होगा व निविदादाता को मान्य होगा।

20. किसी भी कानूनी कार्यवाही करने से पूर्व यदि जरूरत पडे तो दोनो पक्ष अपने प्रकरण को आरबीट्रेशन के समक्ष रखें। तत्पश्चात् समस्त कानूनी कार्यवाहियां यदि किसी भी पक्ष द्वारा किये जाने की आवश्कयता पडे तो जयपुर (राजस्थान) स्थित न्यायालयो में ही की जानी होगी। अन्य स्थान पर नहीं।

21. संविदा का समय संविदाकार एवं विभाग की आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।

22. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त किन्हीं अन्य शर्तो पर विचार नहीं किया जावेगा तथा शर्ते उक्त शर्तों में सम्मिलित होने से रह गई हैं वे सामान्य वित्त एंव लेखा नियम के प्रावधान के अनुसार लागू होगी।

23. यदि उक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाना पाया गया तो बिना पूर्व सूचना दिये ठेके को निरस्त कर दिया जावेगा तथा जमा सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली जावेगी।

24. अन्य किसी विवाद की स्थिति में उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त सामान्य वित्तीय लेखा नियम के नियम 68 में उल्लेखित शर्ते मान्य होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर, दिनांक व पूर्ण पता
मोहर सहित